


# फर्द अहकाम

तय

बनाम

संख्या / वर्ष

/ 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1. 8. 25	<p>पत्रावली पेश हुई। नारी एवं उसके भागिन्नता अनुपाक्षित। नारी को आज्ञा न्यायालय में प्रथम-प्रथम समग्र पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी नारी को न्यायालय में धरि नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आरेख-१ नियम ३३ जी० सी० के तहत अद्यतन दायरी व अद्यतन फेरकी में खारिज किया गया। पत्रावली केवल शुमार हीनर नंबर से कम हीनर दाखिल दफ्त है।</p>	<p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      गेवनेर जमान                 </p>